मानवाधिकार हनन संबंधित समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
(इरोम शर्मिला के विशेष सन्दर्भ में)

जनसंचार विषय में पी-एच.डी. उपाधि के लिए प्रस्तुत

शोध - संक्षेपणिका

सत्र: 2010 - 11

शोध - निर्देशक
डॉ. अख्तर आलम
असिस्टेंट प्रोफेसर
संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र

शोधार्थी
खाईदेम अथौबा मैतै
पंजी.सं. MGAHV/Ph.D/166/10

संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र
(मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ)
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)
पोस्ट: हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442005 (महाराष्ट्र) भारत

संक्षेपणिका

1) प्रस्तावना –

वर्तमान समय में विश्व में आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद तथा विनाशकारी घटनाओं के बढ़ने के कारण विश्व समुदाय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की समस्या सबसे बड़ी है। यदि मानवाधिकार की स्थिति की चर्चा करें तो अत्यंत भयावह तस्वीर से हमारा सामना होता है। समाज में जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के हनन में किसी प्रकार का संकोच या हिचक महसूस नहीं करता, उससे प्रत्येक दिन मानव अधिकारों की समस्या विकट होती जा रही है। मानवाधिकार के बढ़ते हुए मामलों की संख्या के पीछे प्रमुख कारण मानव का गिरता हुआ व्यक्तित्व एवं नैतिक स्तर है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करना तो चाहता है, परन्तु अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान नहीं देता। समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। इन्हीं अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। वर्तमान में भारत जैसे देश में आज लगभग सभी राज्यों की सामाजिक स्थिति निराशाजनक है । कहीं बलात्कार, लूट-मार, आतंकवादियों का हमला, उग्रवादी तथा माओवादी संगठनों का हमला आदि की वजह से देश में कोने-कोने में अशांति फैली हुई है। आज देश के हर कोने खासकर कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को देखिए यहाँ की क्या स्थिति है। मणिपुर राज्य में 1980 के दशक से आज तक अशांति बनी हुई है। रोज लोग मर रहे हैं किंतु सब तमाशा देख रहे हैं चाहे सरकार हो, चाहे गैर-सरकारी संगठन या मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता उनमें इन समस्याओं को लेकर कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आती। यहाँ की जनता उग्रवादी संगठन तथा सैन्य बल इन दो पाटों के बीच पिस रही है। यहाँ कई अमानवीय विशेष सशस्त्र बल कानून लगाए गए हैं जैसे 'Arm Forces Special Powers Act 1958, The Terorist and Disruptip Activities Act 1967 तथा The Punjab Security Act 1956' आदि जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन करते हैं। इस तरह के कानून में कोई भी जवान किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने से उस पर गोली चला सकता है, उसे हिरासत में बिना वारंट लिया जा सकता है तथा किसी के भी घर में जबरदस्ती

घुसकर उसके घर की तलाशी ली जा सकती है। इस तरह से मणिपुर राज्य में ऐसे कई अमानवीय सशस्त्र बल कानून लागू है। मणिपुर राज्य में 1980 के दशक से लेकर आज तक अमानवीय विशेष सशस्त्र बल कानून लागू होने की वजह से मानवाधिकारों का हनन हो रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 कानून के तहत सशस्त्र बलों ने आम जनता पर तरह-तरह के जुल्म कर रहे थे। राज्य के जनता के साथ हो रहे कत्ल, हमले, बलात्कार, अपहरण, बेवजह मार-पीट तथा अन्य अपराधों को देख कर इरोम शर्मिला के दिलों दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही अपराधों का विरोध करते हुए इरोम शर्मिला 13 वर्षों से भूख हड़ताल कर रही है। इरोम शर्मिला की माँग है मणिपुर राज्य से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 (आफ्स्पा) हटाया जाए।

शर्मिला का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। इरोम नन्दा सिंह और इरोम शखी देवी की नौ संतानें हैं, उनमें इरोम शर्मिला देवी आखरी संतान है। उनका जन्म 14 मार्च 1972 को हुआ। उनके जीवन में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वे पढ़ती तो खूब थी किंतु स्कूल की किताबें कम। वे अधिकतर कविताएँ, कहानियां, लोक-कथाएं, इतिहास और समाचारपत्र आदि को पढ़ना पसन्द करती थी। शर्मिला सोईबल लैकाई में स्थित खांगलेबम स्कूल में पांचवीं कक्षा तक पढ़ी उसके बाद की शिक्षा उन्होंने आनन्द सिंह हाईस्कूल से प्राप्त की। शर्मिला को हमेशा से ही दुनिया व समाज को देखना तथा उसे समझना अच्छा लगता था, किंतु स्कूल की किताबों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था।

शायद इसी कारण वे दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप शर्मिला दुःखी रहने लगी। वह दूसरी बार भी दसवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकी। दो बार के प्रयासों के बावजूद पास न होने से वे काफी परेशान हुई। शर्मिला की परेशानी को देखकर उनकी माँ शखी देवी उन्हें समझाती थी, सांत्वना देती थी। वे कहती थी प्रयास करो, चिंता न करो एक दिन जरूर सफल हो जाओगी। आखिरकार शर्मिला की माँ की बात सही साबित हुई, तीसरे प्रयास में शर्मिला ने दसवीं की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। वह बचपन से ही अपने चारों ओर हो रही घटनाओं को ध्यान से देखती व समझती आई थी। वे अपने विचार एवं अनुभवों को समाचार-पत्रों में लेखों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने लगी। अतंतः उस क्षेत्र में उनका मन लगने लगा तथा शर्मिला के अन्दर दबी-छिपी प्रतिभा लोगों के सामने आने लगी। उनके लेखों में उनके अन्दर छिपा हुआ दर्द व समाज के प्रति उनकी आस्था वे किस तरह के समाज की कल्पना करती है यह

साफ दिखाई देने लगा। शर्मिला मणिपुर के एक समाचारपत्र जो मणिपुरी भाषा में प्रकाशित होता था, उसमें स्थाई स्तम्भ भी लिखने लगी। इसके साथ वे विभिन्न समाचारपत्रों में कई विषयों से संबंधित अनेक लेख लिखती रही। शर्मिला के परिवार में हो रहे उतार-चढ़ाव, बिखरा हुआ परिवार, अल्प आयु में पिता इरोम नन्दा सिंह और बड़े भाई इरोम बिजोई सिंह की मृत्यु आदि इरोम परिवार में कई प्रकार के समस्याएँ आती-जाती रही। उसी समय मणिपुरी समाज में भी कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी। जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, एक समुदाय दूसरे समुदाय को हानि पहुंचा रहा था।

अलगाववादी संगठन और सरकारी सैनिकों के बीच की लड़ाई में आम लोग मारे जा रहे थे। अक्सर शर्मिला अपनी परिवारिक समस्याओं के साथ राज्य में हो रही अनचाही घटनाओं को भी देखती, सुनती व समझती रहती थी। इस तरह की घटनाओं को देखकर वे काफी उदास हो जाती थी। वह हमेशा सोचती कि इस तरह की समस्याओं का मूल कारण क्या है ? तथा इनका समाधान क्या हो सकता है। उस वक्त मणिपुर में कई गैर-सरकारी संस्थान राज्य में हो रही समस्याओं को लेकर कई प्रकार के काम कर रहे थे, जैसे उस राज्य में फिर से शांति व जनता को न मिल रहे अधिकारों को फिर से प्राप्त करने का प्रयास। इस दौरान उन्होंने 2 अक्टूबर 2000 से ह्यूमन राईट्स अलर्ट (एच.आर.ए.) नामक एक संस्था में काम करना शुरू कर दिया। ह्यूमन राईट्स अलर्ट संस्था के द्वारा कई कार्यशालाओं के माध्यम से मानवाधिकार संबंधित विषयों पर काम हो रहा था। मानवाधिकार से संबंधित कार्यशालाओं के माध्यम से शर्मिला को देश दुनिया व अपने प्रदेश में मानवाधिकार की स्थितियों का अध्ययन करने तथा उन्हें नजदीक से जानने व समझने का एक मौका मिला। पीपुल्स इंक्वायरी कमीशन का गठन आफ्स्पा कानून (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट) के प्रभावों की छानबीन करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य किया गया था। बंबई उच्च न्यायलय के सेवानिवृत न्यायाधीश एच. सुरेश इस कमीशन के अध्यक्ष थे। उनके अलावा दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था 'ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क' (एच.आर.एल.एन) के कॉसिल गोंजाल्विस और प्रीति वर्मा भी उस कमीशन के सदस्य थे। उस दौरान 21-26 अक्टूबर 2000 में कमीशन के सभी सदस्यों के साथ शर्मिला ने भी मणिपुर के कई स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार पूरी निष्ठा के साथ किए। शर्मिला ने संस्था के सदस्यों के साथ कार्य किया तथा उनकी मदद भी की। उस कमीशन के कार्य की प्रक्रिया में शर्मिला को भी अपने प्रदेश के अनेक पीड़ितों से मिलने व बातचीत करने का मौका मिला, उनकी आपबीती

सुनी। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कानून के तहत सशस्त्र बलों ने आम जनता पर तरह-तरह के जुल्म किए थे। उस छानबीन व साक्षात्कार में कत्ल, हमले, बलात्कार, अपहरण, बेवजह मार-पीट तथा अन्य अपराधों के साथ, अनेक वारदातें कमीशन के सामने साफ हो गई। प्रदेश के पीड़ित लोगों से मिल कर उनकी आपबीती व अनुभव सुनना आसान न था। इस तरह की बातों को सुनकर शर्मिला के दिलो-दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे सोचने पर मजबूर हो गई, पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर, पीड़ितों के कष्टमय जीवन शैली को देखकर उनका मन बेचैन हो उठा। वे सोचने लगी कि किस तरह से अपने राज्य में हो रहे हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। 2 नवंबर 2000 गुरुवार का दिन था, वे एक संगोष्ठी का आयोजन समाप्त होने के पश्चात घर जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें मालोम गाँव में सैनिकों द्वारा किए गए भीषण नरसंहार की खबर मिली। उस घटना में दस आम लोगों की हत्या हुई थी। यह खबर सुनकर शर्मिला को काफी दु:ख हुआ। अपने प्रदेश में हो रही बर्बर हिंसा कैसे थमे ? इस प्रकार के कई सवाल उनके मन में उठ रहे थे। वे सोचने लगी कि राज्य की जनता की सुरक्षा करने के लिए भेजे गए सैनिक आम जनता की हत्या क्यों कर रहे हैं ? इस घटना को बार-बार याद करने से उनका मन आहत व व्यथित हो गया। वैसे यह कोई पहली घटना नहीं थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर गोलियां चलाई हो। इस घटना के बाद शर्मिला ने राज्य में हो रहे सैनिक अत्याचारों के विरुद्ध व आफ्स्पा कानून को हटाए जाने तथा राज्य में शांति व सुव्यवस्था स्थापित करने की उद्देश्य से 5 नवंबर 2000 को उन्होंने भूख हड़ताल की शुरूआत कर दी जिसे आज 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किंतु आज तक उनकी माँगें पूर्ण नहीं हुई। शर्मिला का यह अनोखा संघर्ष हमारे युग में सबसे चुनौतीपूर्ण संघर्ष है जिसका अंत कब और कैसे होगा ? ये 13 वर्ष इरोम शर्मिला ने इम्फाल के एक अस्पताल में कैदी के रूप में ही काटे हैं, शर्मिला को बीच-बीच में रिहा करता है और एकाध दिन में फिर गिरफ्तार की जाती है। 4 अक्टूबर 2006 को शर्मिला दिल्ली पहुंची उनके दिल्ली पहुँचने की खबर पूरे दिल्ली शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई कुछ घंटों बाद वहाँ दिल्ली के मणिपुरी छात्र नेता व समर्थक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे पत्रकार भी शर्मिला से मिलने आए। दूसरे दिन से ही समाचारपत्रों में शर्मिला के संघर्ष व आफ्स्पा द्वारा मानवाधिकार हनन संबंधित उनकी माँगें तथा उनका दिल्ली आने का उद्देश्य आदि बातों को लेकर खबरें छपने लगी। दिल्ली आने के पश्चात ही शर्मिला की माँगें, उद्देश्य, विचार तथा मणिपुर की सामाजिक स्थिति आदि की जानकारी देश-विदेशों तक

पहुँचने लगी जिससे शर्मिला को धीरे-धीरे लोगों का समर्थन प्राप्त होने लगा। दुनिया के सामने आज शर्मिला शांति व इंसाफ की एक प्रतीक बन गई हैं।

सभी जनतांत्रिक व शांतिपूर्ण आंदोलन शर्मिला के संघर्ष में अपनी आवाज मिला रहे हैं। शर्मिला सभी की ओर से खड़ी होकर इस काले कानून का विरोध कर रही हैं। सरकार अपनी लाख कोशिशों के बावजूद उनकी सोच को बदल नहीं सकी और न ही उनके संघर्ष को रोक पाई है। अपने दर्द के कारण धीमी मगर अपनी नैतिकता में डूबी हुई जादुई आवाज में शर्मिला कहती हैं कि 'मैं कैसे समझाऊँ ? यह सजा नहीं, मेरा कर्तव्य है। मेरे पास न तो आर्थिक साधन है, न ही राजनीतिक सत्ता है। मेरे पास केवल मेरा शरीर है।' लिहाजा अपने शरीर को कष्ट देकर वे सरकार और दुनिया का ध्यान मणिपुर के असंतुलित विकास व भटकते हुए नवयुवकों के अंधकारमय भविष्य की ओर खींच रही है।

समाज में हो रही समस्याओं और इरोम शर्मिला के अनशन को अभी तक सफल न होना इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तथा शर्मिला के अनशन में मीडिया की क्या भूमिकाएँ हैं ? खासतौर पर प्रिंट मीडिया में किस प्रकार का प्रचार-प्रसार हो रहा है आदि बातों को समझने के लिए इस विषय का चयन किया गया है। शोध विषय का अध्यायीकरण इस प्रकार किया गया है कि मानवाधिकार का उदभव और विकास किस प्रकार से हुआ है तथा उसकी क्या-क्या अवधारणाएँ समाज में प्रचलित है उसे समझा जा सके। अध्याय के मध्यम से शोध के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ ही इरोम शर्मिला का अनशन कितना उचित है तथा शर्मिला को यह अनोखा कदम उठाने के लिए समाज की ऐसी कौन सी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो 13 वर्षों से आज भी चल रही है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास किया गया है। अध्याय के द्वारा मणिपुर तथा पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का संक्षिप्त संस्कृति, इतिहास, अलगाववाद की समस्या तथा सामाजिक स्थितियों को भी हमारे भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। शोध विषय "मानवाधिकार हनन संबंधित समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (इरोम शर्मिला के विशेष संदर्भ में)" से संबंधित सभी पक्षों व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोध विषय का अध्यायीकरण का सारांश इस प्रकार है –

अध्याय एक - प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि

इस अध्याय में शोध विषय की जानकारी तथा उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से शोध में प्रस्तुत किये गये सभी पक्षों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, साथ ही शोध में उपयोग की गई शोध-प्रणाली एवं पद्धतियों को भी प्रस्तुत किया गया है। अतः यह अध्याय पूरे शोध कार्य को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है।

अध्याय दो - मानवाधिकार की अवधारणा

इस अध्याय में मानवाधिकार की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया है, मानवाधिकार की अवधारणा को समझने के लिए इन अवधारणाओं का जानना आवश्यक है जैसे उदारवादी अवधारणा, मार्क्सवादी अवधारणा, गाँधीवादी अवधारणा तथा भारतीय संविधान में मानवाधिकार किस प्रकार नागरिकों को प्रदान किया गया है इत्यादि। उदारवादी अवधारणा में प्रमुख रूप से पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक, रूसो, जे.एस.मिल तथा ए.वी.डायसी के विचारों को प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय तीन - पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति एवं अलगाववाद की समस्या

इस अध्याय में पूर्वोत्तर राज्यों का संक्षिप्त इतिहास, राज्यों में अलगाववाद की समस्या व सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 कब और क्यों लागू हुआ तथा पूर्वोत्तर राज्यों का भविष्य विकास के संदर्भ में क्या हो सकता है ? आदि बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य किस प्रकार की समस्यायों का सामना कर रहे हैं आदि का संक्षिप्त में विवरण तथा आफ्स्पा कानून क्या है, एक्ट के बारे में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अध्याय चार - इरोम शर्मिला: व्यक्तित्व और मानवाधिकार संबंधी चेतना-प्रसार

इस अध्याय के द्वारा शर्मिला की जीवनी, शर्मिला के अनशन की शुरूआत, शर्मिला का संघर्ष एवं जेल यात्रा, मानवाधिकार संबंधी चेतना एवं प्रसार आदि बातों को प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में मणिपुर राज्य में हो रहे सैन्य अत्याचार, अव्यवस्थित सामाजिक स्थिति तथा राज्य की समस्या आदि का भी उल्लेख किया गया है। शर्मिला द्वारा राज्य में शांति व सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए उठाए गए 13 वर्षों की भूख हड़ताल के अनोखे कदम का कारण भी स्पष्ट किया गया है। साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

नई दिल्ली के वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर मणिपुर राज्य में हो रहे मानवाधिकार हनन संबंधित घटनाओं का विवरण 2001 से 2012 तक का आँकड़ा देकर उसका संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है।

अध्याय पाँच - मानवाधिकार संरक्षण में इरोम शर्मिला का अवदान

इस अध्याय में मणिपुर राज्य में मानवाधिकार संरक्षण हेतु इरोम शर्मिला का क्या योगदान रहा है ? इसका उल्लेख किया गया है। मणिपुर राज्य में आफ्स्पा कानून 1958 के चलते हो रही समस्याएँ, मणिपुरी महिलाओं व शर्मिला का संघर्ष तथा उनके अनशन का लक्ष्य आदि बातों को विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में आफ्स्पा कानून के तहत सैनिकों द्वारा आम जनता के साथ किए गए यंत्रणा, बलात्कार, हत्या, मार-पीट, लापता हुए लोगों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय छः - मानवाधिकार संरक्षण में मीडिया की भूमिका

इस अध्याय के द्वारा प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के माध्यम से मणिपुर के नागरिकों की राय व उनके विचारों को जानने का प्रयास किया गया है। जनता की राय व उनके विचारों का विश्लेषण कर उन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। संक्षिप्त में मणिपुर राज्य में मानवाधिकार संरक्षण में मीडिया कि क्या भूमिका है इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इन बातों को जानने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग कर प्राप्त राय, सुझाव तथा कई पक्षों का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के लिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस पद्धति द्वारा समग्र में से कुछ इकाईयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। इसी चयनित इकाई को सैंपल बनाकर अध्ययन किया जाता है। यह कार्य लोगों की राय जानने के लिए किया जा रहा है। निदर्शन पद्धति में कई प्रकार है परंतु यहाँ वर्गीकृत निर्दशन का प्रयोग करते हुए अलग-अलग व्यक्ति वर्ग के सुझाव लिए गये हैं। लोगों के सुझाव तथा उनकी मत जानने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली के माध्यम से इरोम शर्मिला के अनशन को लेकर लोग क्या सोचता है, मणिपुर राज्य में लागू आफ्स्पा एक्ट के संदर्भ में उन लोगों का क्या राय है तथा इरोम के अनशन में मीडिया का कितना बड़ा योगदान है आदि बातों को जानने का प्रयास किया गया है। प्रश्नावली में कुल 51 प्रश्नों के माध्यम से लोगों का अलग-अलग राय को जाना गया है। सर्वे द्वारा एकत्र डाटा की गणना कर उसे सारणी तथा ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट समझाने का प्रयास किया गया है। प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के लिए चयनित वर्ग के आँकड़ों

का आकलन कर सांख्यिकी पद्धति द्वारा टेबल का निर्माण किया गया है। जो मणिपुर के अलग-अलग जिलों के भिन्न-भिन्न समुदायों के व्यक्तियों द्वारा यह प्रश्नावली भरा गया है।

अध्याय सात - मानवाधिकार संरक्षण में इरोम शर्मिला के अवदान से संबंधित समाचारों का विश्लेषण

इस अध्याय में इरोम शर्मिला से संबंधित अलग-अलग भाषा के समाचारपत्र कुल सात वर्षों के दो-दो महीने के समाचारपत्रों से खबरों, लेख व संपादकीय का संकलन किया गया है तथा उनका विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि शर्मिला के अनशन की खबरों को समाचारपत्रों में कितना प्रकाशित किया जा रहा है। शोधार्थी द्वारा इरोम शर्मिला से संबंधित खबरों का विश्लेषण करने के लिए तीन समाचारपत्रों को लिया गया है, पहले मणिपुर (इम्फाल) से मणिपुरी भाषा में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अखबार 'पोकनफम' को लिया है, दूसरा मध्य भारत नागपुर से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय समाचारपत्र 'दैनिक भास्कर' को लिया है, तीसरा अंग्रेजी भाषा में देश के राजधानी नई दिल्ली से निकलने वाले सर्वाधिक पढ़े जाने वाली राष्ट्रीय समाचारपत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को लिया गया है।

अध्याय आठ - निष्कर्ष एवं सुझाव

पूरे शोध में प्राप्त किए गए तथ्यों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अलग-अलग प्रकार की शोध पद्धतियों का प्रयोग कर प्राप्त किए गए गुणात्मक, गणनात्मक एवं विवरणात्मक विश्लेषणों के आधार पर सभी निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है।

समस्त अध्यायों का अध्ययन कर विश्लेषण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विश्व में प्रारम्भ से ही मानवाधिकार को लेकर चिंतन-मनन होता रहा है। आधुनिक युग में वह एक व्यापक रूप ले चुका है। आज छोटे कस्बों से लेकर दुनिया के हर स्थान पर मानवाधिकार संरक्षण की समस्या पर गहराई से चर्चा हो रही है तथा लोग सचेत भी हो रहे हैं, इसके बावजूद मानवाधिकार का हनन किसी न किसी रूप में मौजूद है। मानवाधिकार सरंक्षण के लिए देश भर में कई योजनाएँ बनाई जा रही है, जिनमें कई सरकारी व गैर-सरकारी संगठन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में मानवाधिकार हनन को रोकने हेतु प्रयासरत हैं। इस शोध में लोगों की राय तथा विचारों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि शर्मिला द्वारा मणिपुर से आफ्स्पा एक्ट 1958 हटाने की माँग पूर्ण रूप से उचित है क्योंकि यह कानून अमानवीय है। अधिकतर

जनता का यह मानना है, इस कानून को मणिपुर से इसीलिए हटाना आवश्यक है कि आफ्स्पा कानून का सही उपयोग कम तथा दुरूपयोग अधिक हो रहा रहा है।

सरकार को अपनी यह सोच भी बदलनी होगी कि मणिपुर जैसे अशांत क्षेत्र में जवानों की सुरक्षा तथा अलगाववाद की समस्या को समाप्त करने के लिए आफ्स्पा जैसे कानून का लागू होना आवश्यक है। क्योंकि इस कानून के दुरूपयोग के चलते राज्य में निरापराध लोगों की हत्याएँ अधिक हो रही रही है तथा जनता के दिलों में अलगाव बढ़ रहा है। राज्य की आंतरिक अन्य समस्याएँ भी है परंतु राज्य में हो रही अधिकतर समस्याओं की जड़ आफ्स्पा कानून है क्योंकि जिस उद्देश्य से राज्य में यह कानून लागू किया गया था उसके सही परिणाम कम बल्कि विपरीत परिणाम अधिक आ रहे हैं। जैसे जब राज्य में आफ्स्पा लागू हुआ था तब तीन-चार अलगाववादी संगठन ही थे किंतु वर्तमान में 40 से अधिक अलगाववादी संगठन मौजूद हैं। एक दो राज्यों को छोड़ कर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की स्थिति भी लगभग इसी प्रकार है। सैनिक तथा अलगाववादी संगठनों के बीच हो रहे संघर्षों में अधिकतर आम जनता के ही मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इसीलिए सरकार को राज्य की समस्या समाप्त करने के लिए आफ्स्पा जैसे कानून को लागू करने के बजाय राजनीतिक तौर तरीकों से शांतिपूर्वक समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जनता के दिलों में बढ़ रहे अलगाव को रोका जा सके तथा हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने में सफलता प्राप्त हो।

इस शोध कार्य में यह निष्कर्ष भी सामने आया है कि उन तमाम समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से तथा मणिपुर राज्य से आफ्स्पा एक्ट 1958 को हटाने की माँग को लेकर 13 वर्षों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला के अनशन की खबरें लोगों तक पहुँचाने में समाचारपत्रों ने अच्छी भूमिका निभाई है। शर्मिला के अनशन की खबरों को देश के अन्य समाचारपत्रों में कम स्थान दिया गया है किंतु क्षेत्रीय समाचारपत्रों में यह खबरें अधिक देखने को मिलती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इरोम शर्मिला के अनशन, संघर्ष तथा उनकी माँगों को लोगों तक पहुँचाने के कार्य में समाचारपत्रों की भूमिका उल्लेखनीय है किंतु यह भी हकीकत है, जिस मात्रा में उनके अनशन की खबरों को समाचारपत्रों में स्थान दिया जाना चाहिए था कहीं न कहीं इसमें कमी देखने को मिलती है। इन प्रदेशों की खबरों को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए ताकि अलग-थलग व अछूते इन राज्यों को तथा वहाँ के नागरिकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

सर्वेक्षण पद्धति द्वारा राज्य की जनता से प्राप्त तथ्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की जनता उन समस्याओं से मुक्ति पाना चाहती है, वे यह चाहते हैं कि इस प्रदेश का उचित विकास हो, सभी को खान-पान, कपड़ा-मकान, अच्छे स्कूल-कॉलेज, तथा रोजगार उपलब्ध हों। वहाँ की खेती-बाड़ी को प्रोत्साहन मिले, लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक आजीविका मिले तथा वे सुख-शांति का जीवन व्यतीत कर सके। एक हिंसा मुक्त राज्य हो साथ में मणिपुर की जनता के पास पर्याप्त मेहनत कर कमाने के साधन हों, परंतु अलगाववादी संगठन तथा सैनिकों के बीच के संघर्षों तथा आफ्स्पा जैसे काले कानून के चलते राज्य में उचित विकास तथा शांति स्थापित नहीं हो पा रही है।

वर्तमान समय में इरोम शर्मिला के अनशन को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उनकी माँग कितनी उचित है तथा समाचारपत्रों में शर्मिला के अनशन की खबरों को कितना प्रकाशित किया जा रहा है अर्थात प्रचार-प्रसार हो रहा है यह जानने के लिए ही यह शोधकार्य किया गया है। इस शोध में शोधार्थी द्वारा तीन समाचारपत्रों में प्रकाशित शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों का अध्ययन किया गया है, जो अलग-अलग दिशाओं व उद्देश्य को ध्यान में रख कर शर्मिला से संबंधित खबरों को आवश्यकता के अनुसार खबरें प्रकाशित कर रहे हैं। इन समाचारपत्रों में शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों को किस हद तक प्रकाशित किया जा रहा है यह जानने के लिए शोधार्थी द्वारा गणनात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। पूर्ण शोध अवधि के अवलोकन की प्राप्तियाँ इस प्रकार हैं -

प्राप्ति: मात्रात्मक विश्लेषण के लिए अवलोकन पद्धति तथा सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग कर प्राप्त किए गए तथ्य (निष्कर्ष) इस प्रकार हैं –

1. मणिपुर की राजधानी इम्फाल से प्रकाशित होने वाले मणिपुरी समाचारपत्र 'पोकनफम' में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित 26.42% खबरों को प्रकाशित किया गया है।
2. मध्य भारत नागपुर से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचारपत्र 'दैनिक भास्कर' में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित 5.00% खबरों का प्रकाशन किया गया है।
3. नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी समाचारपत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित 5.95% खबरों को प्रकाशित किया गया है।

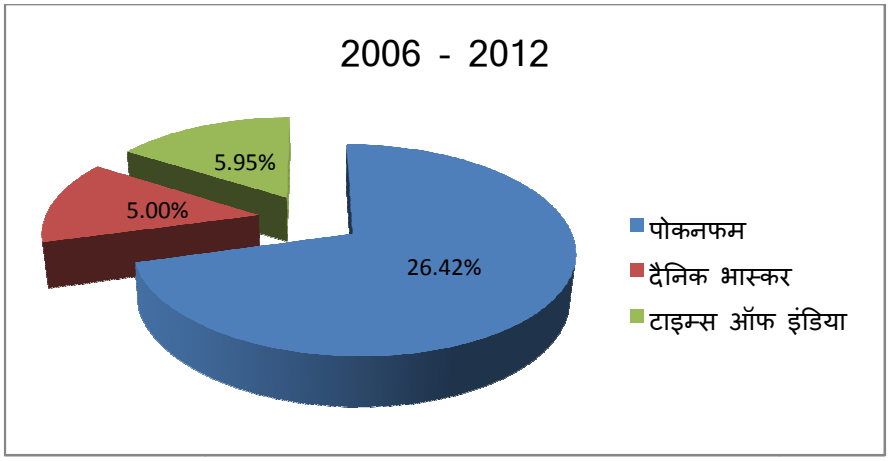

चार्ट न. (1) - तीनों समाचारपत्रों का 2006 से 2012 तक के शर्मिला के अनशन से संबंधित प्रकाशित खबरों के प्राप्त कुल आंकड़ों का प्रतिशत

4. तीनों समाचारपत्रों में इरोम शर्मिला तथा पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को समय-समय पर प्रकाशित किया गया है।
5. इन समाचारपत्रों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्षेत्रीय समाचारपत्र को छोड़कर बाकि दोनों समाचारपत्रों 'दैनिक भास्कर' तथा 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में शर्मिला के अनशन तथा पूर्वोत्तर राज्यों की खबरों को प्रकाशित तो अवश्य किया जाता हैं परंतु उनका संख्या कम है।

गुणात्मक विश्लेषण: अवलोकन पद्धति द्वारा समाचारपत्रों के गुणात्मक विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं –

1. 'पोकनफम' समाचारपत्र में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों में विविधता पाई जाती है जैसे उनकी माँगों के संदर्भ में हो, उनके स्वास्थ्य, उनकी योजनाओं अथवा कारावास के संदर्भ में हो, उनसे जुड़ी हुई हर प्रकार की खबरों को इस समाचारपत्र में प्रकाशित किया गया है।
2. 'पोकनफम' समाचारपत्र में शर्मिला के अनशन से संबंधित हर प्रकार की खबरों का प्रस्तुतीकरण विस्तार से तथ्यों को परखकर प्रस्तुत किया गया है, तथा उनकी खबरों का विषय वस्तु पक्ष स्पष्ट रूप से दिया जाता है। इस समाचारपत्र में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित 26.42% खबरें प्रकाशित की गई है। इन सभी विशेषताओं के कारण यह समाचारपत्र पाठकों द्वारा पसंद किया जाता है।

3. 'पोकनफम' समाचारपत्र में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित जितनी भी खबरें प्रकाशित हुई है उनमें आक्रमक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, अधिकतर खबरों के अनुरूप ही सरल और आकर्षक भाषा का उपयोग किया गया है, किंतु कभी-कभी भावुक बनाने वाले शीर्षक अथवा समाचार प्रकाशित किए गए हैं।
4. 'पोकनफम' समाचारपत्र में देश तथा विदेशों में हो रहे शर्मिला के समर्थन को लेकर हुई गतिविधियों की खबरों का पूरा क्वरेज करने का प्रयास किया गया है, तथा शर्मिला के अनशन से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के महत्व के अनुसार न्यूज फॉरमेट बहुत ही अच्छे ढ़ंग से तैयार किया गया है।
5. 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र में इरोम शर्मिला के अनशन को लेकर समय और परिस्थितियों के अनुसार उनसे संबंधित खबरों को विविध रूपों में अवश्य प्रकाशित किया गया है।
6. 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों के प्रकाशन का दर भले ही 5.00% प्रतिशत है परंतु उनसे जुड़ी किसी भी प्रकार की खबर को विस्तार के साथ बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
7. 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र में शर्मिला के अनशन से संबंधित हर प्रकार के खबर फिर चाहे वह लेख हो, समाचार अथवा संपादकीय उसे स्पष्ट रूप से रखा जाता है। इस समाचारपत्र में जितनी भी शर्मिला से जुड़ी खबरों को प्रकाशित किया गया है उसमें प्रयोग की गई भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण, सरल तथा रुचिपूर्ण है। इस प्रकार की अनेक विशेषताओं के कारण यह समाचारपत्र पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता हुआ नजर आता है।
8. 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र में प्रकाशित की गई इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों को देश-विदेशों में हो रही गतिविधियों के महत्व के अनुसार स्थान दिया गया है।
9. 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र में शर्मिला से जुड़ी हर प्रकार की खबरों का प्रस्तुतीकरण बहुत ही अच्छे ढ़ंग से किया गया है, फिर चाहे भाषा हो, न्यूज फॉरमेट अथवा विषय वस्तु पक्ष सभी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
10. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचारपत्र में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों को विविधतापूर्वक समय और आवश्यकता के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

11. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचारपत्र में शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों का प्रस्तुतीकरण निश्चित ही आकर्षक है किंतु इस समाचारपत्र में शर्मिला के अनशन से संबंधित 5.95% प्रतिशत खबरों को ही प्रकाशित किया गया है अर्थात इस समाचारपत्र में भी शर्मिला के अनशन से जुड़ी खबरें कम ही देखने को मिलती है।
12. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' इस समाचारपत्र में प्रकाशित शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों की विषय वस्तु तथा भाषा सपष्ट होती है। इस समाचारपत्र में प्रभावपूर्ण भाषा तथा आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया गया है।
13. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचारपत्र में शर्मिला की विभिन्न स्थानों से आयी खबरों को उस खबर के महत्व के अनुसार स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिला के अनशन को लेकर हो रही गतिविधियों को खबर की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
14. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों का न्यूज फॉरमेट वाकई आकर्षक है। इस प्रकार की विशेषताओं के कारण ही यह समाचारपत्र पाठकों के द्वारा इतना अधिक पसंद किया गया है।

शोध विषय का प्रभाव विश्लेषण –

प्रस्तुत शोध विषय ''मानवाधिकार हनन संबंधित समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (इरोम शर्मिला के विशेष सन्दर्भ में)'' पर सर्वेक्षण प्रणाली से प्राप्त तथ्यों के आधार पर लोगों के राय तथा सुझावों का विश्लेषण करने के उपरांत हम निम्न निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। -

1. आफ्स्पा एक्ट को मणिपुर राज्य से हटाने की माँग को लेकर 13 वर्षों से भूख हड़ताल कर रही, इरोम शर्मिला की माँग तथा उनके अनोखे कदम का 97.07% प्रतिशत जनता समर्थन करती है।
2. मणिपुर राज्य की 67.04% प्रतिशत जनता यह मानती है कि राज्य में आफ्स्पा एक्ट लागू होने के कारण यहाँ की जनता को मानवाधिकार तो मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं।
3. आफ्स्पा 1958 एक्ट के द्वारा अत्याचार सह रही मणिपुर की 70.03% प्रतिशत जनता इस एक्ट के द्वारा शिकार बन रहे लोगों को बचाना चाहती है।
4. यहाँ की 55.06% प्रतिशत जनता यह मानती है कि आफ्स्पा एक्ट 1958 लागू होने के कारण मणिपुर की जनता के मानवाधिकारों का उलंघन हो रहा है।

5. मणिपुर की 56.00% प्रतिशत जनता यह मानती है कि सरकार इरोम शर्मिला की माँग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है तथा अब तक उस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ की 62.06% प्रतिशत जनता यह भी मानती है कि मणिपुर राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अंतरकलह से ग्रस्त है।
6. मणिपुर की 88.06% प्रतिशत जनता यह मानती है कि राज्य में इंडस्ट्री व फैक्ट्रियों के विकास से राज्य की अधिकतर समस्याएँ अपने आप दूर हो जाएगी।
7. मणिपुर राज्य की सौ प्रतिशत जनता इरोम शर्मिला को जानती है तथा उनके अनशन का समर्थन करती है। राज्य की 68.00% प्रतिशत जनता यह भी मानती है कि यहाँ की समस्याओं तथा धीमे विकास के लिए यहाँ का शासन चला रहे नेता जिम्मेदार हैं।
8. राज्य की 55.00% प्रतिशत जनता यह मानती है कि मीडियाकर्मी मानवाधिकार के संरक्षण के कार्यों में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं, परंतु उन्हें और आगे आकर इस विषय पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
9. देश-विदेशों तक सूचना पहुँचाने का कार्य कर रही मणिपुर राज्य की प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काम को यहाँ की 54.00% प्रतिशत जनता कमजोर मानती है तथा 71.00% प्रतिशत जनता यह भी मानती है कि राज्य के मीडियाकर्मी स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं कर पाते हैं।
10. मणिपुर राज्य भारत के अन्य राज्यों से कई मामलों में अर्थात विकास के संदर्भ में पिछड़ रहा है 72.00% प्रतिशत जनता यह मानती है कि मणिपुर के पिछड़ेपन का कारण जनता व सरकार दोनों ही है।
11. राज्य की 93.00% प्रतिशत जनता यह मानती है कि मणिपुर से प्रकाशित कई समाचारपत्र मानवाधिकार के संरक्षण के कार्यों में काफी मददगार साबित हो रहे हैं।
12. एक दशक से ऊपर अपनी माँगों को लेकर अहिंसा एवं शांति के मार्ग को अपनाकर भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला का अनशन एक दिन जरुर सफल होगा ऐसा मणिपुर की 95.03% प्रतिशत जनता मानती है।
13. सरकार से इरोम शर्मिला की क्या माँगें है ? यह राज्य की 91.00% प्रतिशत जनता जानती है।

14. इरोम शर्मिला की माँग पर राज्य सरकार की ओर से की गई कार्यवाही से राज्य की 77.06% प्रतिशत जनता संतुष्ट नहीं है।
15. राज्य की 86.02% प्रतिशत जनता इरोम शर्मिला की माँगों को उचित समझती है।
16. इरोम शर्मिला की माँगों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य की 83.04% जनता संतुष्ट नहीं है।
17. मणिपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 1980 के दशक से लागू आफ्स्पा एक्ट 1958 के बारे में राज्य की 75.00% प्रतिशत जनता पूर्ण रूप से जानती है।
18. राज्य की जनता का यह मानना है कि राज्य में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को ईमानदारीपूर्वक काम करना चाहिए तथा हिंसापूर्ण समाज से मुक्ति दिलाने के लिए आफ्स्पा जैसे कानून लागू करने के बजाय शांतिपूर्वक राजनीतिक तौर तरिकों से ही यहाँ की समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को जल्द ही उचित कदम उठाने चाहिए।
19. इरोम शर्मिला का अनशन अब तक सफल नहीं हुआ है, जनता का यह मानना है कि यदि राज्य तथा केंद्र सरकार यहाँ की आंतरिक समस्याओं को समझ कर उचित कार्यवाही करेंगे तो अवश्य शर्मिला की माँगें पूरी हो जाएगी।
20. मणिपुर की जनता का यह मानना है कि अण्णा हजारे के कुछ ही दिनों के आंदोलन की सफलता का कारण मीडिया का बड़ा नेटवर्क तथा व्यापक जनसमर्थन है वहीं एक दशक से अधिक समय से अनशन कर रही इरोम शर्मीला के सफल न होने का कारण उनका क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रहना तथा व्यापक जनसमर्थन का प्राप्त न होना है।
21. राज्य की जनता का यह मानना है कि यदि शर्मिला की माँगों तथा राज्य की वास्तविक गंभीर समस्याओं को देश-विदेशों तथा लोगों तक सफलतापूर्वक पहुँचाया जाए तो सरकार पर दबाव डालकर शर्मिला की माँगों को पूर्ण कराया जा सकता है।

2) अध्ययन का क्षेत्र –

इस शोध कार्य में अलग-अलग भाषाओं के तीन समाचारपत्रों का इरोम शर्मिला से संबंधित खबरों का संकलन करने हेतु उपयोग किया गया है। इनमें विशेष तौर पर मणिपुरी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के सात

वर्षों के दो-दो महीने के समाचारपत्र को शामिल किया गया है जिससे यह जान सके कि मणिपुर तथा देश के अन्य राज्यों में शर्मिला के अनशन को लेकर लोग कितना समर्थन कर रहे हैं तथा प्रिंट मीडिया में किस तरह से प्रसार-प्रचार कर रहे हैं। इस समाचार संकलन के कार्य में उस क्षेत्र के मणिपुरी भाषा से निकलने वाले क्षेत्रीय समाचारपत्र 'पोकनफम' को लिया गया है। हिंदी भाषा में निकलने वाले समाचारपत्र के तौर पर मध्य भारत के नागपुर शहर से प्रकाशित होने वाले 'दैनिक भास्कर' समाचारपत्र को लिया गया है तथा अंग्रेजी भाषा के लिए नई दिल्ली से प्रकाशित 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचारपत्र को लिया गया है।

इस शोध कार्य के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के अलगाववादी संगठनों की शुरुआत की दास्तान को जानने के लिए तथा संक्षेप में उन राज्यों के इतिहास को देखने का प्रयास भी किया गया है। सन 1980 से मणिपुर राज्य में लागू किए गए 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' से समाज में हो रहे दुष्परिणामों को जानने का प्रयास किया गया है तथा इस एक्ट को हटाने की माँग को लेकर 13 वर्षों से अनशन कर रही इरोम शर्मिला के अब तक सफल न होने की वजह को भी जानने का प्रयास किया गया है।

इस शोध कार्य में मणिपुर राज्य की उन तमाम समस्याओं की जड़ का पता लगाने तथा उन तमाम समस्याओं को सुलझाने के क्या मार्ग हो सकते हैं, यह खोजने का प्रयास भी किया गया है। शोध कार्य के दौरान उन तमाम समस्याओं को जानने के लिए तथा उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले करीब 300 लोगों के मत तथा सुझाव लिए गए हैं। सरकार तथा अलगाववादी संगठनों के बीच मतभेद एवं जनता की सोच को समझने का प्रयास भी किया गया है जिससे यह जान सके कि उन समस्याओं का मूल कारण क्या है तथा उन समस्याओं से किस प्रकार निकला जा सकता है। उन तमाम समाजिक समस्याओं को तथा इरोम शर्मिला के अनशन के कार्यों में मीडिया की क्या भूमिकाएँ हैं ? इन बातों का भी संक्षिप्त में विचार किया गया है।

3) अध्ययन की रूपरेखा –

शोध विषयानुसार समाचारपत्रों के अंतर्वस्तु का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मीडिया सामग्री का संकलन एवं विश्लेषण किया गया है। प्रिंट मीडिया में सामग्री संकलन के लिए खबरों का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समयावधि में सामग्री को संकलित किया गया है तथा बाद में उसके सभी पक्षों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन गुणात्मक, गणनात्मक,

सैद्धान्तिक और व्यवहारिक हो सकता है। इस शोध में गुणात्मक एवं गणनात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। इस विधि के प्रयोग से तीनों समाचारपत्रों की इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों का विषय वस्तु की बारिकियों को समझा गया है। इस प्रकार विधियों के प्रयोग से अलग-अलग प्रकार के आँकड़ों का संग्रहण कर तीनों समाचारपत्रों को गहराई से समझाया गया है।

4) समस्या का विवरण –

मणिपुर समाज में हो रही समस्याएँ और इरोम शर्मिला के अनशन को अभी तक सफल न होना इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तथा शर्मिला के अनशन में मीडिया की क्या भूमिकाएँ हैं ? खासतौर पर प्रिंट मीडिया में किस प्रकार का प्रचार-प्रसार हो रहा है आदि बातों को समझने के लिए इस विषय का चयन किया गया है। इस तरह की समस्याएँ मणिपुर समाज में 1980 के दशक से चली आ रही है। इस प्रकार की समस्याओं का जड़ खोज निकाल कर बदलाव लाना आवश्यक है। आज इन समस्याओं को समझकर कोई उचित कदम उठाना तथा समाज को एक नई दिशा में लाना अति आवश्यक है, अन्यथा इससे उत्पन्न निष्कर्ष विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। प्रस्तुत शोध, समाचारपत्रों में इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरों का विश्लेषण किया गया है। विषय की समस्या, इरोम शर्मिला के अनशन तथा अभी तक असफल होने की वजह, विशेष सशस्त्र बल 'आफ्स्पा' जैसे काले कानून लागू होने से मणिपुर समाज में हो रही अनचाहे मार-पीट, हत्या तथा मीडिया में शर्मिला के अनशन से संबंधित खबरें कम आना आदि नहीं है। विषय द्वारा यह पता लगाया गया है कि इरोम शर्मिला के अनशन जो मणिपुर राज्य से आफ्स्पा कानून को हटाने की माँग को लेकर 13 वर्षों से भूख हड़ताल चल रही है व उनकी माँग कितना उचित है, आफ्स्पा जैसे काले कानून लागू होने से समाज में किस प्रकार का दुष्परिणाम हो रहा है तथा शर्मिला के अनशन को लेकर मीडिया उनकी खबरों को कितना अहमियत दे रही है। यह ज्ञात करने हेतु शोध के लिए तीन अलग-अलग प्रकार के समाचारपत्रों का चयन किया गया है।

5) अध्ययन का उद्देश्य –

जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर शोध कार्य किया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं –

1. सन 1980 के दशक से पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे मानवाधिकार हनन संबंधित समस्याओं का मूल कारण जानना।
2. पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी संगठनों की शुरुआत किन कारणों से हुई थी यह जानने हेतु।
3. मणिपुर राज्य में अलगाववाद की समस्या का बढ़ना तथा जनता के मानवाधिकार हनन का मूल कारण जानने का प्रयास।
4. मणिपुर में 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' (आफ्स्पा एक्ट) का सैनिकों द्वारा दुरुपयोग करने से जनता के हो रहे मानवाधिकार हनन को लोगों के समक्ष लाने का प्रयास है ताकि यहाँ की जनता शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।
5. 13 वर्षों से 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' को मणिपुर राज्य से हटाने की माँग को लेकर भूख हड़ताल कर रही शर्मिला की माँग कितनी उचित है तथा अब तक उनके सफल न होने के कारणों को जानने का प्रयास।
6. मणिपुर राज्य में मानवाधिकार के संरक्षण में मीडिया की क्या भूमिका रही है यह जानने हेतु।
7. इन समस्याओं को मणिपुर राज्य से किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है साथ ही यह जानने का प्रयास की, इन समस्याओं को सुलझाने के क्या मार्ग हो सकते है ? जिससे राज्य को एक नई राह मिले तथा एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण हो सके।
8. उच्च शिक्षा हासिल करने के पश्चात बेरोजगारी का शिकार होकर घूम रहे राज्य के नवयुवकों की निराशाजनक स्थिति को बेहत्तर बनाने के क्या मार्ग हो सकते हैं, जिससे उन्हें गलत रास्तों पर जाने से रोका जा सकेगा।
9. आफ्स्पा एक्ट के संदर्भ में भारत सरकार से मणिपुर की जनता क्या उम्मीद करती है ? यह जानने का प्रयास।
10. शर्मिला के अनशन में मीडिया का क्या योगदान है ? तथा इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित खबर अखबारों में कम समाचार आने की वजह जानने का प्रयास।

11. मणिपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को देश की मुख्यधारा से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है ? तथा उसके क्या मार्ग हो सकते हैं ? आदि समस्याओं को इस शोध के माध्यम से जानने तथा सुलझाने के क्या उपाय हो सकते हैं ? यह इस शोधकार्य के मुख्य उद्देश्य हैं।

6) शोध की उपकल्पना –

सपने तो सपने है फिर भी हम सपने देखना नहीं छोड़ते क्योंकि ये सपने ही हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। "मानवाधिकार हनन संबंधित समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (इरोम शर्मिला के विशेष संदर्भ में)" नामक यह शोध का विषय शोधार्थी द्वारा देखे गए एक सपने का ही परिणाम कह सकते हैं। शोधार्थी ने अपनी आंखों से देखा है कि मणिपुर राज्य में 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' एक्ट का दुरुपयोग करके कैसे आम जनता को परेशान किया जाता है ? फर्जी मुठभेड़ के नाम पर साधारण जनता की हत्या की जाती है तथा किस तरह मानवाधिकार का हनन किया जाता है। इन संघर्षों में कई बार सैनिक शहीद होते हैं तथा अलगाववादियों को भी मार गिराया जाता है। किंतु इन संघर्षों का आमतौर पर साधारण जनता ही शिकार होती है। समाज में हो रही इन मार-पीट, अत्याचार, अव्यवस्थित सामाजिक स्थिति तथा अधिकतर युवाओं की बेरोजगारी आदि समस्याओं के कारण ही इरोम शर्मिला जैसी फौलादी इरादों वाली महिला का जन्म हुआ है। इन अव्यवस्थित सामाजिक स्थितियों को सुधारने के क्या रास्ता हो सकते हैं तथा मणिपुर से आफ्स्पा एक्ट को हटाने की माँग को लेकर 13 वर्षों से अनशन कर रही शर्मिला की माँगें पूर्ण न होना आदि इस शोध की उपकल्पना है। इस शोध की उपकल्पना का उल्लेख कुछ ऐसे तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे –

1. करीब 62 वर्षों से अव्यवस्थित सामाजिक स्थिति तथा सैनिकों एवं अलगाववादी संगठनों के अत्याचारों के साथ जी रही मणिपुर के आम जनता की स्थिति दयनीय हो रही हैं।
2. मणिपुर में 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' (आफ्स्पा) जैसे काले कानून को लागू करने के दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
3. मणिपुर जैसे राज्य में मानवाधिकार के संरक्षण में मीडिया की भूमिका रही है।
4. इरोम शर्मिला का अनशन सफल नहीं रहा।
5. आफ्स्पा जैसे कानून के कारण यहाँ की जनता को संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

6. सैनिकों को आफ्स्पा कानून मिलने के कारण राज्य में महिलाओं की स्थिति दयनीय है।
7. राज्य में कानून-व्यवस्था के चलते राज्य का विकास मंद है।
8. अन्य राज्यों की तुलना में मीडिया के क्षेत्र में वहाँ की खबरें कम दिखाई देती है।
9. इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के मार्ग खोजने का प्रयास करना। यहाँ की जनता के खोए हुए मौलिक अधिकार किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं व इरोम शर्मिला की माँगें कब पूरी होंगी आदि उपकल्पनाओं की पूर्ति तथा नई व्यवस्था के निर्माण में हमारा यह शोधपरक प्रयास सहायक सिद्ध हो सके इत्यादि शोधार्थी के द्वारा की गई उपकल्पनाएँ हैं।

7) अध्ययन का महत्व –

शोधार्थी द्वारा किए गये शोध कार्य से अकादमिक एवं समाज तथा आने वाले पीढ़ियों को लाभ होगा। इस शोध से प्राप्त कुछ तथ्य ऐसे हैं जो अकादमिक क्षेत्र में, मणिपुर राज्य की समाजिक, राजनीतिक, संस्कृति तथा यहाँ की समस्याओं को समझने में भी सहायक होगा । समाचारपत्रों द्वारा समाचारों के प्रस्तुतीकरण के सुधार में भी सहायक है। शोध के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं –

1. अध्ययन समाज को एक नई सोच एवं दिशा देने में सहायक है।
2. यह अध्ययन समाचार जगत में मणिपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के दशा और दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
3. पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, समाजिक स्थिति, यहाँ के समस्याओं को और गहराई से समझने में सहायक है।
4. सशस्त्र बल विशेष अधिकार आफ्स्पा कानून को हटाने की माँग को लेकर 13 वर्षों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला के अनशन की संघर्षपूर्ण आंदोलन को समझने में सहायक है।
5. आफ्स्पा जैसे अमानवीय कानून को राज्य में लागू होने से किस प्रकार की समाजिक समस्याएँ बढ़ रही है, तमाम इन समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसका हल ढूंढने में यह अध्ययन योगदान देगा।

6. यह अध्ययन राष्ट्रीय स्तर का खबर देने वाले समाचारपत्रों को न्यूज क्षेत्र से संबंधित खबरों का प्रस्तुतीकरण में कमी को समझने में सहायक होगा।

7. यह अध्ययन देश के अंदर हो रही मानवाधिकार हनन को समझने तथा विभिन्न संस्कृति वाले इस देश के लोग अपने अधिकार को गहराई से जानने में सहायक है।

8) साहित्य पुनरावलोकन –

किसी भी शोध को करने से पहले उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्ययन के द्वारा ही यह पता लगाया जाता है कि अब तक इस विषय पर कितना अध्ययन हो चुका है, किस प्रकार हुआ है व हमारा शोध किस प्रकार भिन्न है। इसके द्वारा यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि शोधार्थी अपने शोध में क्या नया कर सकते हैं। इन सारी जानकारियों हेतु शोधार्थी जिन साहित्यों का अवलोकन किया है उनमें से कुछ पुस्तकों को निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं –

1. जोशी आर.पी., (2006) मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर।

इस पुस्तक में मानवाधिकार से संबंधित कई तथ्यों को समझने का प्रयास किया गया है तथा मानवाधिकार की अवधारणाओं का भी उल्लेख किया गया है ताकि हम स्पष्ट रूप से मानवाधिकार को समझ सके तथा इस शोध में मानव के मूलभूत अधिकारों की जानकारी लोगों तक पहुंचाया जा सके।

2. अग्रवाल गिरिराजशरण, खानकाही निश्तर, (2000) मानवाधिकार दशा और दिशा, साहित्य बिहार प्रकाशन, बिजनौर।

इस पुस्तक में संक्षेप में यह प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया गया है कि वर्तमान में देश और विदेशों में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है ? तथा मानवाधिकार के संरक्षण हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

3. राजकिशोर, (1995), मानव अधिकारों का संघर्ष, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली।

इस पुस्तक के माध्यम से शोध कार्य में यह बताने का प्रयास किया गया है कि देश और दुनिया में आदि काल से लेकर आज तक मानवाधिकार के लिए हर प्रकार के समुदायों में संघर्ष होते रहे हैं तथा वर्त्तमान में यह किस तरह से समाज में एक रोग की तरह फैल रहा है।

4. एस.के.वाधवा, (1999) भारत का संविधान, लॉ हाउस प्रकाशन, प्रथम संस्करण, ग्वालियर।

भारत के संविधान द्वरा हमें कौन-कौन से अधिकार प्रदान किए गए है ? यह समझने हेतु संक्षेप में शोध विषय से संबंधित एक नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। संविधान ने देश व राज्य में किन परिस्थितियों में तथा कब तक 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून' लागू किए जाए इस संदर्भ में भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

5. मेहरोत्रा दीप्ति प्रिया, (2009), इरोम शर्मिला और मणिपुरी जनता की साहस-यात्रा, दानिश बुक्स प्रकाशन, प्रथम संस्करण, दिल्ली।

इस पुस्तक में यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि मणिपुर की जनता कब से इन परिस्थितियों में अलगाववादी तथा सैनिकों के बीच हो रही लड़ाइयों के अशांत वातावरण में जी रही है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' का सैनिकों द्वारा दुरुपयोग करने से उनके जीवन में हर पल किस प्रकार एक भय का माहौल बना हुआ है तथा उस एक्ट को हटाने की माँग कर रही शर्मिला की संघर्ष यात्रा का भी उल्लेख किया जा रहा है।

6. नारायणसिंह, (1885 शकाब्द) मार्क्स और गांधी का साम्यदर्शन, श्री गोपालचंद्र सिंह प्रकाशन, प्रथम संस्करण, इलाहाबाद।

इस पुस्तक में मानवाधिकार से संबंधित मार्क्स, गांधी तथा अन्य के विचारों को समझने के लिए उनके विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है कि वे किस प्रकार के समाज की कल्पना करते थे।

7. Laishram Dhanabir,(2006), Norhteast in Benthic Zon Manipur, pub. By. University Research club, 1st Edition, Imphal.

इस पुस्तक के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या-क्या समस्याएँ हैं तथा उन प्रदेशों में अलगाववादी संगठनों की शुरुआत कब और किन कारणों से हुई ? उन संगठनों की क्या माँगें हैं ? एवं क्या राजनितिक समस्याएँ हैं तथा पूर्वोत्तर राज्यों की जनता किन परिस्थितियों में जी रही है आदि।

8. O.Kulabidhu Singh, (2006), Sharmila A Mission for Peace, Pub. by. Smt. Oinam Ongbi Gulapmachu Devi publications, 1st published, Imphal.

इस पुस्तक के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि मणिपुर राज्य में 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' का दुरुपयोग होने के कारण कितने पुरुष एवं महिलाऐं इस कानून के शिकार हो चुके हैं तथा शर्मिला किन-किन उद्देश्यों को लेकर सरकार से क्या माँगें कर रही है ?

9. Dhamala Ranju R., Sukalpa Bhattacharjee, (2002) Human Rights and Insurgency The North East India, Pub. by. Shipra Publications, 1st published, Delhi.

इस पुस्तक में यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी संगठन कब और किन माँगों को लेकर शुरु हुए थे तथा इन कारणों से वहाँ की जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? आदि।

10. Chadha Vivek, (2013) The Armed Forces Special Power Act The Debate, Pub. by: S.Kumar, 1st pub., New Delhi.

इस पुस्तक के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि 'सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958' एक्ट के द्वारा सैनिकों को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं ? जिनसे सैनिक इस एक्ट के द्वारा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं तथा इस एक्ट को उन प्रदेशों में लागू करना क्या उचित है ? आदि।

9) प्रति चयन प्रक्रिया –

इसके लिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। निदर्शन पद्धति में समग्र का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अतः समग्र का चुनाव सही अनुपात में करना आवश्यक है। निदर्शन पद्धति में कई प्रकार होते हैं। मेरे द्वारा यहाँ वर्गीकृत निदर्शन का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से अलग-अलग वर्ग विशेष के लोगों की राय व उनके सुझावों को प्राप्त किया गया है। सैंपल चयन के लिए मणिपुर के विभिन्न क्षत्रों का चयन किया गया है।

10) सैंपल : प्रकृति एवं स्तर –

वर्गीकृत निदर्शन द्वारा सैंपल का चयन किया गया है। सैंपल के लिए कुल 300 उत्तरदाताओं में पुरुष तथा महिला दोनों को शामिल किया गया है। सैंपल का आयुवर्ग पुरुष व महिला के लिए 18 से 60 के बीच रखा गया है। जो मणिपुर के अलग-अलग जिलों के भिन्न-भिन्न समुदायों के व्यक्तियों द्वारा यह प्रश्नावली भरा गया है।

सैंपल का व्यवसाय –	विद्यार्थी
	नौकरीपेशा
	गैर - नौकरीपेशा
सैंपल का आयुवर्ग –	18 से 60 तक

11) शोध तकनीक कि प्रणाली एवं पद्धति –

इस शोध के दौरान मुख्यतः विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रविधि का सहारा लिया गया है। साथ ही विषय के विशेषज्ञों एवं अन्य विद्वानों से भी विचार विमर्श किया गया है। शोध अधारित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सहायक ग्रन्थों की भी सहायता ली गई। इस प्रविधि में आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार, पत्राचार, वेबसाईट एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य किया गया है। इस शोध में आवश्यकता के अनुसार विषय से संबंधित कई सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया है। इस शोध विषय में निम्न शोध-प्रणाली एवं पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार है –

1) अवलोकन पद्धति (Observation Method)

2) निदर्शन पद्धति (Sampling Method)

3) अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति (Content Analysis Method)

4) सांख्यिकी पद्धति (Statistical Method)

5) काई-वर्ग परीक्षण (Chi-Square Test)

शोध में सामग्री संग्रहण के लिए प्रयुक्त प्रणालियाँ निम्न है -

1. प्रश्नावली (Questionnaire)
2. साक्षात्कार (Interview)

12) प्रश्नावली का विवरण –

शोधार्थी द्वारा सभी वर्गों के लिए एक ही प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली में कुल 51 प्रश्नों को रखा गया हैं। इसमें 46 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा 5 व्याख्यात्मक प्रश्न रखे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न की सहायता से जनता की राय व उनके विचारों को जानने का प्रयास किया गया है।

इरोम शर्मिला के अनशन से संबंधित प्रश्न	-	15
आफ्स्पा कानून एवं मणिपुर के सामाजिक स्थिति से संबंधित प्रश्न	-	31
खबरों पर आधारित प्रश्न	-	5
कुल प्रश्न	=	51

13) प्रदत्त संकलन प्रक्रिया –

प्रश्नावली निर्माण के बाद उसे चयनित सैंपल से भरवाने का कार्य किया गया। प्रश्नावली भरवाने के किए शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। अतः प्रदत्त संकलन के लिए अलग-अलग माध्यमों का भी प्रयोग किया गया है। कुछ उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से प्रश्नावली भरवाई गई, कुछ को प्रश्नावली पोस्ट के माध्यम से भेज दी गई तथा भरवा कर माँगवाई गई। इस प्रकार अलग अलग वर्गों से उनकी सुविधा के अनुसार प्रश्नावली भरवाई गई तथा प्रदत्त संकलन का कार्य पूर्ण किया गया।

14) शोध की विश्वसनीयता –

शोध के निष्कर्ष वस्तुपरक होने चाहिए, ताकि कोई भी स्वतंत्र अवलोकनकर्ता उनका सत्यापन कर सके। यह विश्वसनीयता तीन प्रकार से लाई जाती है -

1. व्यक्तिगत विश्वसनीयता इसमें शोधार्थी की विषय के प्रति समझ व कार्य की विश्वसनीयता का ध्यान रखा जाता है।

2. संवर्गी विश्वसनीयता इसमें सवर्गों का अनुभाविक रीति से इस प्रकार निर्माण किया जाता सकता है कि उसके विषय में योग्य निर्णायक एक हो।

शोध की सीमाएँ -

शोध में समय तथा क्षेत्र की एक निश्चित सीमा होती है। इन निश्चित सीमाओं के तहत ही शोध कार्य किया जाता है। सभी अलग-अलग शोध कार्यों के लिए अलग-अलग सीमाएँ होती हैं। यह सीमाएँ शोध कार्य को वस्तुनिष्ठता की चरम तक पहुँचाने में बाधक होती है। इस शोध कार्य के दौरान निम्न सीमाओं का सामना किया गया –

1. शोध के अध्ययन का क्षेत्र सीमित होने से निष्कर्षों को शतप्रतिशत सटीक नहीं माना जा सकता है। इसकी पूर्ण संभावना रहती है कि शोध क्षेत्र में विस्तार करने पर तथ्यों में कुछ बदलाव प्राप्त हो सके।
2. शोध कार्य में समय अवधि सीमित होने से शोध के निष्कर्ष भी प्रभावित होते हैं।
3. शोध विषय के अनुसार हिंदी में पुस्तकों के अभाव से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा।
4. विषय से संबंधित खबरों के संकलन में समाचारपत्रों के अभावों से जूझना पड़ा।
5. इरोम शर्मिला का प्रत्यक्ष साक्षात्कार न ले पाना।
6. इतने वर्षों के तथ्य संकलन के चलते इनमें बदलाव की गुंजाइश है।
7. मानवाधिकार एक बहुत बड़ा विषय है इसीलिए मेरे शोध के विषय के ही अनुरूप कार्य किया गया है।
8. शोध के दौरान कुछ सामान्य समस्याएँ भी रहती है जिनका विशेष ध्यान रखते हुए कार्य किया गया है।

सुझाव -

शोध के निष्कर्षों को प्राप्त करने के पश्चात उन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं –

1) राज्य की मूल समस्या को समझने का प्रयास करे तथा आवश्यकतानुसार इमानदरीपूर्वक उचित कदम उठाए।

2) जनता की आवश्यकताओं को समझे तथा उनकी माँगों पर ध्यान दिया जाए।

3) यहाँ की समस्याओं को केवल जनता का दिल जीत कर ही दूर किया जा सकता है इसलिए उन्हें समझने का प्रयास करें।

4) यहाँ की जनता को और अधिक यह एहसास कराए की आप लोग देश के नागरिक हैं।

5) राज्य के अलगाववादी संगठनों को दबाने के लिए हिंसा का प्रयोग न करें क्योंकि बन्दुक की नोक पर देशभक्त नहीं आतंकवादी पैदा होता है इसलिए राजनितिक तौर तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें।

6) आफ्स्पा जैसे काले कानून को जल्द ही मणिपुर राज्य से हटाया जाए तथा शर्मिला की माँगों पर ध्यान दिया जाए।

7) सरकार को ऐसे कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए जिससे की मणिपुर जैसे अशांत क्षेत्र में देश के सैनिक भी सुरक्षित रहे तथा जनता के मानवधिकारों का हनन न हो एवं राज्य की उन समस्याओं को समाप्त करने के ठोस कदम उठाए।

8) सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी को गलत मार्ग अपनाने से रोका जा सके।

9) राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति काफी हद तक गंभीर हो चुकी है उसे सही मायने में रोकने के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

10) मणिपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं से संबंधित खबरों पर देश की मीडिया और अधिक ध्यान दे ताकि अछूते उस प्रदेशों के बारे में देश के सभी नागरिक जाने व समझे उससे इन प्रदेशों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता प्राप्त होगी।

11) हमें सभी भारतीय नागरिकों का पूर्वोत्तर राज्य के नागरिकों को देखने का नजरिया भी बदलना होगा ताकि दोनों ओर भाई-चारे की भावना बनी रहे तथा देश की अखंडता को बनाए रखने में सफलता प्राप्त हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

हिंदी पुस्तकें -

1) अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र, (सी.ण्.93106-9420) परियोजना आई.बी.ओ.आर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, नार्थ हाल

2) अग्रवाल गिरिराजशरण, खानकाही निश्तर, (2000), मानवाधिकार दशा और दिशा, साहित्य बिहार प्रकाशन, बिजनौर

3) आचार्य नन्दकिशोर, (2010), मानवाधिकार की संस्कृति, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर

4) इस्लाम शम्सुल, भारत में अलगाववाद और धर्म वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

5) कैन्सटन मॉरिस, (1974), मानव अधिकार क्या है ?, नेशनल अकाडमी प्रकाशन, दिल्ली

6) कुमार कृष्ण, मानवाधिकार विश्वकोष भाग - 6 शर्मा अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

7) काश्यप सुभाष, (1996), हमारा संविधान (भारत का संविधान और संवैधानिक विधि), निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली

8) कुमार संजय, (2007), पुरर्ब का स्विट्जरलैंड नागालैंड, विशाल पब्लिकेशन पटना, दिल्ली

9) गौतम रूपचन्द, (2008), दलित मानवाधिकार कान्ती पब्लिकेशन्स दिल्ली

10) गुप्त मानिक लाल, (2000), विश्व का इतिहास कॉलेज ऑफ डेपो प्रकाशन जयपुर

11) चोपड़ा लक्ष्मेन्द्र, (2006),मीडिया और समाज, आधार प्रकाशन, हरियाणा

12) चौधरी अंजू, (2005), भारत में मानव अधिकार और पुलिस, मानक पब्लिकेशन्स, दिल्ली

13) जोशी.आर.पी. (2006), मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर

14) डीन वेरा माइकल्स (अनुवादक) शर्मा राधेश्याम, (1963), भारत में जन-तंत्र के नवीन आदर्श, सुंदर लाल प्रकाशन, दिल्ली

15) तनेजा पुष्पलता, (2001),मानवाधिकार और बाल शोषण, सत्याहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली

16) देवराज, (1988) मणिपुर:विविध संदर्भ, हिन्दीपरिषद हिन्दी विभाग मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर, मणिपुर

17) दयाल मनोज, (2003), मीडिया शोध, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला प्रकाशन, हरियाणा

18) दीवानचन्द, (2005), पश्चिमी दर्शन, छेदा लाल प्रकाशन, लखनऊ

19) नारायणसिंह, (1885), मार्क्स और गांधी का साम्यदर्शन, श्री गोपालचंद्र सिंह प्रकाशन, इलाहाबाद

20) पाण्डेय अरूण, हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

21) बाथम मनोहर, (2008), अस्तित्व का संकट और मानवाधिकार, मेधा बुक्स प्रकाशन, दिल्ली

22) बनर्स एमिल, अनुवादक - संगल ओमप्रकाश, (2008), मार्क्सवाद क्या है, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रकाशन, नई दिल्ली

23) भसीन अनीश, (2011), जानिए मानाव अधिकारों को, ग्रंथ अकादमी प्रकाशन, नई दिल्ली

24) महरोत्रा ममता, (2011), महिला अधिकार और मानव अधिकार, ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली

25) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 र.म.अ.आयोग प्रकाशन, नई दिल्ली

26) मेहरोत्रा दीप्ति प्रिया, (2009), इरोम शर्मिला और मणिपुरी जनता की साहस-यात्रा, दानिश बुक्स प्रकाशन, दिल्ली

27) मोहन सुरेन्द्र, (2006), समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

28) मनोहर मुरली, सिंह प्रसाद, (संपादक), (अनुवादक- चंदभूषण), कम्युनिस्ट घोषणापत्र (हेरॉल्ड जे.लास्की), ग्रंथ शिल्पी, प्रथम हिंदी संस्करण, दिल्ली

29) राजकिशोर, (1995), मानव अधिकारों का संघर्ष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

30) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत, र.म.अ.आयोग प्रकाशन, नई दिल्ली

31) लाल बसन्ती, मानवाधिकार, बाबेल सेन्ट्रेल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद

32) वार्षिक अंक- 2, 2005, मानवाधिकार: नई दिशाएँ, र.म.अ.आयोग प्रकाशन, नई दिल्ली

33) वार्षिक अंक-7, 2010 मानव अधिकार: नई दिशाएँ, र.म.अ.आयोग प्रकाशन, नई दिल्ली

34) वार्षिक अंक - 4, 2007, मानव अधिकार: नई दिशाएँ, र.म.अ.आयोग प्रकाशन, नई दिल्ली

35) वाधवा एस.के., (1999), भारत का संविधान, लॉ हाउस प्रकाशन, ग्वालियर

36) वार्षिक अंक -7, 2010, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2008-09, नई दिल्ली

37) शर्मा कुमुद, (2003), भूमंडलीकरण और मीडिया, ग्रंथ अकादमी प्रकाशन, नई दिल्ली

38) शर्मा राधेश्याम, (1999) विकास पत्रकारिता, हरियाणा साहित्य अकादमी प्रकाशन

39) शर्मा चन्द्रधर, (1992), पाश्चात्य दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, दिल्ली

40) शाह घनश्याम, (2004), भारत में सामाजिक आंदोलन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर

41) सुब्रह्मण्यम एस. (1998), पुलिस और मानवाधिकार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली

42) सिंह एम.एन., (2009), विकासशील देशों में मानवाधिकार, जयभारती प्रकाशन, इलाहाबाद

43) त्रिपाठी मधुसूदन, (2008), भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

44) त्रिवेदी आर.एन. डॉ. शुक्ला डी.पी. (2000), रिसर्च मैथ्डोलॉजी, कॉलेज बुक डेपो प्रकाशन, जयपुर

45) श्रीवास्तव सुरेश, (प्र-संपादक), (2010), मार्क्स दर्शन 203-588 अंक 1, नई दिल्ली

मणिपुरी पुस्तकें -

1) अकोइजम आई.एस., (2009), कंलैपाकपु मणिपुर कौरगुमसि, मणिपुर साहित्य समिति थौबाल प्रकाशन, मणिपुर

2) आर.जे. मैतै (2009), मणिपुर साहित्य दा फेमिनिजम, एन.आर. पब्लिकेशन्स, इम्फाल

3) फानजौबम तरापोत प्रियोबत, ऐखोइगी इरैपाक मड.ग, पि.बि. बुक डिश्ट्रीबुर्टस प्राइवेट लिमिटेट पब्लिशिंग मणिपुर

4) लाईरेनमयुम ईबूडोहल सिंह, (2008), मणिपुर, लैरेंमयुम हेमोगो सिंह प्रकाशन, इम्फाल

5) सापमचा जादुमणि, (2008), मणिपुर दा इन्नर लाइन पार्मिट, पारी प्रकाशन, मणिपुर

6) हाओबम सनाजाओबा, (2006), युखल मरूमदा कलमनिश्ट, ऑल मणिपुर मीडिया राइटर्स एण्ड कलमनिश्ट युनियन, इम्फाल

अंग्रेजी पुस्तकें -

1) Anand Meena, (2004), Struggle for Human Rights Nelson Mandela, Pub. by. Kalpaz Publications, Delhi

2) Boyle Karen, (2005), Violence Media And Sage, pub. by. India Pvt. Ltd. New Delhi

3) Bhattacharjee JayantaBhusan, Procedings of Northeast India History Associattion, pub. by. RI Khasi, Shillong

4) Baruah Sanjib, Gulliver's Troubles:State and Militants in North-East India, Economic and Poltical Weekly Vol.37. No.41

5) Chadha Vivek, (2013), The Armed Forces Special Power Act The Debate, Pub. by: S.Kumar, New Delhi

6) C.Angle Stephen, Human rights & Chinese Thought, The pitt Building, Trumpington Street Cambridge University, United Kingdom

7) Dhamala Ranju R., Bhattacharjee Sukalpa, (2002), Human Rights and Insurgency The North East India, Pub. by. Shipra Publications, Delhi

8) Donnelly Jack, (2005), Universal Human Rights in Theory and Practice, Pub. by. Manas Publications New Delhi

9) Elaine E. Englehardt Ralph D.Barney, Media And Ethics Thomson Learing Academic Resource Center 1-800-423-0563

10) Editors. kerr Joanna, sprenger Ellen and Symington Alison, (2004), The future of Womens Rights Global Visions and Strategies, Pub. by. Jack Donnelly Second Edition Zed Books Ltd. USA

11) Human Rights Watch Printed In the United States of America HRW 350 Fifth Avenue,34th floor New York

12) India 2008 Research, Reference and Training Division M.I.B. Gov. of India Soochna Bhawan New Delhi

13) John Corner, Philip Schlesinger & Roger Silverstone, International Media Research A Critical Survey, Routledge 2 park Square, Milton park, oxon, OX144RN USA and Canada.

14) Laishram Dhanabir, (2006), Norhteast in Benthic Zon Manipur, pub. By. University Research club, Imphal

15) Kapoor Sudhir, (2003), Human Rights in 21st Century, Pub. by. Mangal Deep Publications Jaipur

16) Mehrotra Deepti Priya, (2009), Burning Bright Irom Sharmila and the Struggle for peace in Manipur, pub. By. Penguin Books India pvt. Ltd., New Delhi

17) Manipur : Dubious Manoeuvre Kamaroopi Economic and Poltical Weekly Vol.29. No.3

18) Mishra R.C., (2003), Governance of Human Rights Challenges in the Age of Globalisation, Pub. by. Authors Press, Delhi

19) Mishra R.C., (2005), Human Right, Pub. by. Sumit enterprises, New Delhi

20) Marc Jean – Coicaud, Michael W. Doyle and Anne – Marie Gardner, (2004), The Globalization of Human Rights, Pub. by. Rawat Satyam, jaipur and New Delhi

21) N.Sanajaoba, (2005), International Human Rights Volume 3, Pub. by. Manas Publications,New Delhi

22) N.Amuba Meitei, (2012), North East India Ct. pub by. Help line publications, Imphal

23) Oinam Bhagat, Patterns of Ethnic Conflict in the North-East: A Study on Manipur, Economic and Poltical Weekly Vol.38. No.21

24) Patil V.T., (2001), Human Rights Third Millennium Vision, Pub. by. Authorpress, Delhi

25) prabhakar Manohar, Dr. Bhanawat Sanjeev, (2004), Human rights and media, pub. By. M/S University Book house, jaipur

26) Rai Rahul, (2000), Human Rights U N Initiatives, Pub. by Authorspress, Delhi

27) Singh O.Kulabidhu, (2006), Sharmila A Mission for Peace, Pub. by. Smt. Oinam Ongbi Gulapmachu Devi publications, Imphal

28) Sastry Mithal T.S.N. forward Prof. A.Laxminath, (2005), India and Human Rights Reflections, Pub. by. Ashok kumar Mithal Concept Publishing Company,New Delhi

29) Swarna Rajagopalan, Peace Accords in Northeast India : Journey Over Milestones, East-West Center in Washington

30) Sen P.C. Journal of the National Human Rights Commission National Human Rights Commission, New Delhi

31) Shimray U.A. Ethnicity and Socio-Poltical Assertion : The Manipur Experience, Economic and Poltical Weekly Vol.36. No.39

32) The Protection of Human Rights Act.1993, National Human Rights Commission Publications, New Delhi

33) Yumjao, (2006), An early History of Maninpur, pub. by. Manipur print Association, Imphal

34) Yambem Laba, A Human Rights Story in Manipur, pub. by. Just Peace Foundation Kongpal kongkham Leikai, Imphal East

35) Yambem Sanamani, Nupi Lan (Women War): Manipur Women's Agitation. (1939), Economic and Poltical Weekly Vol.11.No.8

सहायक ग्रंथ सूची –

समाचार - पत्र

1) हिंदुस्तान टाइम्स
2) द हिन्दू
3) इंदियन एक्सप्रेस
4) द टाइम्स ऑफ इंडिया
5) नवभारत टाइम्स
6) लोकमत समाचार
7) दैनिक भास्कर
8) पोकनफम (मणि.)
9) नहारोल गी थौदाङ (मणि.)
10) याईकाईरोल (मणि.)
11) हुयेन लानपाओ (मणि.)
12) सनालैपाक (मणि.)
13) शंङाइ एक्सप्रेस (मणि.)

पत्रिका –

1) आउट लूक
2) इंडिया टूडे
3) द वीक
4) फ्रंट लाईन
5) नुपीगी पुन्सी (मणिपुरी पत्रिका)

वेबसाइट –

1) www.vichar.bhadar4media.com
2) www.thatshindi.in

3) www.cgpi.org

4) www.chauthiduniya.com

5) www.loksangharsha.com

6) www.dw-world.de/dw/article10,5682051,00htm

7) www.merikhabar.com

8) www.pravakta.com

9) www.e-pao.net

10) http://pardesh123.blogspot.in/

11) http://www.north-east-india.com/information/history.html

12) http://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_India

13) http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sister_States

पुस्तकालय अध्ययन –

1) महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

2) मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर

3) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

4) मणिपुर स्टेट पुस्तकालय, मणिपुर

5) गांधी ज्ञान मंदिर पुस्तकालय, वर्धा

6) जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली

7) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

8) ओसमानिया विश्वविद्यालय पुस्तकालय, हैदराबाद

*****